न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प -भोपाल

प्रकरण क्रमांक .. ..
निग्र - 487 - PBR/2011

1- घनश्याम आत्मज भगवानदास पालीवाल
आयु- वयस्क

2- संजयकुमार आ० भगवानदास पालीवाल
आयु- वयस्क
निवासीगण ग्राम- केतोघान जि०रायसेन
हाल निवास- जे०जे० रोड - बरेली
जिला- रायसेन ।

द्वारा:- मुख्त्यार आम -सुनील पालीवाल
आत्मज भगवानदास पालीवाल
आयु -वयस्क निवासी ग्राम-केतोघान
जि० रायसेन। हाल निवासी -
जे०जे० रोड बरेली जिला-रायसेन [म०प्र०] - - -आवेदकगण

श्री ओ.पी. उपे अभिभाषक
द्वारा आज दिनांक 15-3-11
को प्रस्तुत किया 15-3-11

15-3-11

28-3-11

-- विरूद्ध ---

1- राकेश आत्मज गोवर्धन दास दत्तक पुत्र -
लेखराज आयु- वयस्क
2- दिनेश आ० गोवर्धनदास, आयु- वयस्क
3- महेश आ० गोवर्धनदास आयु- वयस्क
4- योगेश आ० गोवर्धनदास आयु-वयस्क
5- श्रीमति सावित्रीबाई. विधवा स्वर्गीय
गोवर्धनदास ,
समस्त निवासीगण ग्राम- केतोघान -
तहसील-उदयपुरा जिला- रायसेन [म०प्र०] - - - अनावेदकगण

पुनः विलोकन अंतर्गत धारा-51 म०प्र०भू रा० संहिता - 1959.

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 487–पीबीआर / 11 जिला रायसेन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 27–05–2015 | उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2010 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :–<br>1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या<br>2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या<br>3 कोई अन्य पर्याप्त कारण<br>आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं बतलाई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख परिलक्षित त्रुटि ही बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निकाले गये निष्कर्षों को अवैध ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।<br>( मनोज गोयल )<br>अध्यक्ष | |